संख्या-22 /2024/637 / सत्रह-म-2024- 17-1099/126/2023

प्रेषक,

रविन्द्र,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊः दिनांक 11 जुलाई, 2024

विषय– **" सघन मत्स्य पालन हेतु एयरेशन सिस्टम की स्थापना योजना " के संचालन के संबन्ध में दिशा-निर्देश ।**

महोदय

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या -157/नि0शा/2023-24 दिनांक 25 अप्रैल, 2024 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश के तालाबों में सघन मत्स्य पालन करते हुए अधिकाधिक मत्स्य उत्पादन प्राप्त करने हेतु जल की गुणवत्ता, रोग और रोगजनकों, जलीय वनस्पतियों तालाब में घुलित आक्सीजन के स्तर का प्रबंधन करने, जल कृषि में सभी एरोबिक जलीय जीवों को जीवित रहने एवं विकास के लिए निर्धारित मानक के अनुसार घुलित आक्सीजन का स्तर तालाब में बनाये रखने की आवश्यकता के दृष्टिगत " सघन मत्स्य पालन हेतु एयरेशन सिस्टम की स्थापना योजना " एक नवीन राज्य योजना संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है ।

2- **" सघन मत्स्य पालन हेतु एयरेशन सिस्टम की स्थापना योजना "** के क्रियान्वयन से सम्बंधित विवरण/ दिशा-निर्देश इस प्रकार है-

(1) योजना का उद्देश्य

मात्स्यिकी और जल-कृषि लाखों लोगों, विशेष कर ग्रामीण आबादी के लिए भोजन,पोषण, रोजगार और आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है। वास्तव में, यह क्षेत्र प्राथमिक स्तर पर लगभग पूरे भारत वर्ष में 25 मिलियन मछुआरों और मछली किसानों को आजीविका प्रदान करता है और मूल्य श्रृंखला के साथ दोगुनी संख्या में है। मछली पशु प्रोटीन का एक किफायती और समृद्ध स्रोत होने के कारण, भूख और पोषक तत्वों की कमी को कम करने के लिए स्वास्थ्य प्रद विकल्पों में से एक है। इसमें आय बढ़ाने और हित धारकों के लिए आर्थिक समृद्धि लाने की अपार संभावनाएं हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि मत्स्य पालन क्षेत्र पर नीति और वित्तीय सहायता के माध्यम से सतत् और केंद्रित ध्यान दिया जाए ताकि इसके विकास को एक स्थायी, जिम्मेदार, समावेशी और न्याय संगत तरीके से गति प्रदान करते हुए तालाब के वर्तमान उत्पादन स्तर एवं उत्पाद कता में अभिवृद्धि की जा सके।

(2) योजना का औचित्यः

तालाबों में सघन मत्स्य पालन करते हुए अधिकाधिक मत्स्य उत्पादन प्राप्त करने हेतु

जल की गुणवत्ता, रोग और रोग जनकों, जलीय वनस्पतियों तालाब में घुलित आक्सीजन के स्तर का प्रबंधन

करना आवश्यक है। तालाब में घुलित आक्सीजन पानी की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण अवयव है। जल कृषि में सभी एरोबिक जलीय जीवों को जीवित रहने एवं विकास के लिए निर्धारित मानक के अनुसार घुलित आक्सीजन का स्तर तालाब में बनाये रखना बहुत आवश्यक है। घुलित ऑक्सीजन का स्तर अन्य सभी समस्याओं की तुलना में बड़े पैमाने पर मछलियों की अचानक मरने का प्रमुख कारण है। तालाब का पानी मुख्य रूप से सतही जल पर वायुमंडलीय वायु की परस्पर क्रिया के माध्यम से एवं प्रकाशसंश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन प्राप्त करता है। अच्छे उत्पादन के लिए तालाबों या कल्चर टैंकों में घुलित ऑक्सीजन का स्तर को पूरे कल्चर अवधि के दौरान 5.5ppm ऊपर ही रखना चाहिए। तालाबों या कल्चर टैंकों के तल पर अमोनिया के संचय के कारण पानी में DO स्तर भी विगड़ जाता है क्यों कि एक सघन जलीय कृषि प्रणाली में मछलियों को उनकी वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए कृत्रिम चारा और विभिन्न प्रकार की दवाएं दी जाती हैं। वर्तमान में, तालाबों और टैंकों की जलीय कृषि प्रणाली में औसत उत्पादकता लगभग 4-5 टन/हेक्टेयर है। उल्लेखनीय है कि राज्यके कुछ प्रगतिशील मछली किसान सघन जलीय कृषि प्रणाली में मछली पालन की आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके 9-10 टन मछली का उत्पादन कर रहे हैं।

सघन जलीय कृषि प्रणाली के लिए पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, इसलिए हमारे छोटे-सीमांत मछली किसान अपनी कृषि प्रणाली में इस तकनीक को अपनाने में असमर्थ हैं, लेकिन यदि उन्हें जलीय कृषि प्रणाली के लिए विभिन्न प्रकार की मशीनरी/उपकरण जैसे एरेटर, एयरब्लोअर रियायती दरों पर प्रदान किए जाते हैं तो वे भी सीमित क्षेत्रफल से अधिकतम उपज प्राप्त करने में सक्षम हो सकेंगे।

(3) योजना कार्य क्षेत्र -

यह परियोजना प्रदेश केस भी जनपदों में संचालित की जायेगी। परियोजनान्तर्गत 0.50 हे0 के तालाब में 2 हार्सपावर के एक क्वाड पैडिल व्हील एरियेटर एवं 1.00 हे0 या उससे बड़े तालाब हेतु अधिकतम दो एरियेटर पर महिला मत्स्य पालक जिनके तालाब की वर्तमान मत्स्य उत्पादकता कम से कम 4 टन प्रति हे0 हो को अनुदान दिया जायेगा।

(4) योजना का क्रियान्वयन एवं लाभार्थी चयन -

सघन मत्स्य पालन हेतु एयरेशन सिस्टम का विकास परियोजना वित्तीय वर्ष 2024-25 से लागू की गई है। योजना के अन्तर्गत मत्स्य बीज हैचरी संचालित करने वाले हैचरी स्वामी, निजी क्षेत्र एवं पट्टे पर आवंटित ऐसी महिला मत्स्य पालक जिनके तालाब की वर्तमान मत्स्य उत्पादकता कम से कम 4 टन प्रतिहे0 हो तथा पट्टा की स्थिति में पट्टा अवधि कम से कम 5 वर्ष अवशेष हो पात्र होंगे। लाभार्थी के चयन हेतु व्यापक प्रचार प्रसार

करते हुए विभागीय पोर्टल पर आनलाईन आवेदन प्राप्त कर जनपदो में निम्नानुसार गठित जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा पत्र आवेदनों का रैंडमाईजेशन करते हुए चयन किया जायेगा:

1- मुख्य विकास अधिकारी - अध्यक्ष

2- जिलाधिकारी द्वारा नामित जिलास्तरीय अधिकारी -सदस्य

3- सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्यकार्यकारीअधिकारी -सदस्य सचिव

जिला स्तरीय चयन समिति से अनुमोदित लाभार्थियों की सूची जनपदीय अधिकारी द्वारा विभागीय पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। निदेशक मत्स्य द्वारा उपलब्ध बजट सीमा के अन्तर्गत जनपद के अनुमोदित लाभार्थियों के सापेक्ष अन्तिम लक्ष्य निर्धारित करते हुए धनराशि आवंटित की जायेगी। चयन उपरांत लाभार्थी द्वारा एयरेटर स्थापित किये जाने करे किए जाने के उपरांत उसे अनुदान की धनराशि अवमुक्त की जायेगी। योजना का लाभ निर्धारित समयान्तर्गत लोगों को प्रदान किये जाने हेतु समय सारिणी का निर्धारण निम्नवत है :-

क्र0	कार्य/मदकानाम	माह
1	योजना का प्रचार-प्रसार आन-लाईन आवेदन एवं लाभार्थी चयन।	जनवरी से मार्च।
2	प्राक्कलन/डी0पी0आर0 तैयार कराना एवं बैंक से ऋण की स्वीकृति प्राप्त करना।	अप्रैल से मई
3	लाभार्थी द्वारा स्वयं अथवा बैंक ऋण के सापेक्ष क्रय किये गये एयरेटर की जियोटैग फोटोग्राफी एवं जनपदीय मत्स्य अधिकारी द्वारा सत्यापन तथा परियोजना के सापेक्ष अनुदान उपलब्ध कराना।	जून से सितम्बर

(5) इकाई लागत व फण्डिंग पैटर्न:-

सघन मत्स्य पालन हेतु एयरेशन सिस्टम की स्थापना शत-प्रतिशत राज्यपोषित परियोजना है। परियोजनान्तर्गत 0.50 हे0 के तालाब में 2 हार्स पावर के एक क्वाड पैडिल व्हील एरेटर एवं 1.00हे0 या उससे बड़े तालाब हेतु अधिकतम दो एरेटर पर एक लाभार्थी अनुदान प्राप्त कर सकता है।एरेटर सिस्टम की प्रति इकाई लागत रू0. 0.75 लाख होगी जिसमे लाभार्थी अंश का धनराशि (सामान्य महिला मत्स्य पालक द्वारा योजना की इकाई लागत का 50% तथा अनुसूचित जाति महिला मत्स्य पालक द्वारा 40%धनराशि)लाभार्थी स्वयं केससाधन से अथवा बैंक ऋण लेकर वहन किया जाएगा। योजनान्तर्गत सामान्य महिला मत्स्य पालक को परियोजना के सापेक्ष 50 प्रतिशत अनुदान की धनराशि अर्थात रू0 0.375 लाख प्रति इकाई सामान्य महिलामत्स्य पालक कोएव अनुसूचित जाति के महिला मत्स्य पालक को 60 प्रतिशत अनुदान देय होगा। परियोजना का फन्डिग पैटर्न निमन्वत है:

धनराशि रु० लाख में

क्र0	मद	लाभार्थी वर्ग	इकाई लागत	अनुदान प्रतिशत	लाभार्थी अंश	अनुदान धनराशि
1	सघन मत्स्य पालन हेतु एरेटर सिस्टम का	सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला मत्स्य	0.75	50	0.375	0.375

	स्थापना	पालक				
		अनुसूचित जाति वर्ग की महिला मत्स्य पालक	0.75	60	0.30	0.45
2	प्रशासनिक व्यय (योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु) @2%	जनपदीय एवं मंडलीय कार्यालय तथा निदेशालय हेतु	-	100	-	0.015

(6) भौतिक कार्य पूर्ति का मापदण्ड:-

6.1- चयनित लाभार्थी द्वारा चयन उपरांत निर्धारित मानक के एयरेटर का क्रय किया जायेगा।क्रय किये गये एयरेटर को चयनित किये गये तालाब में स्थापित कराकर सम्बन्धित सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी को क्रय किये गये एरेटर एवं अन्य सामग्री के बिल/ वाउचर्स संलग्न करते हुए योजनान्तर्गत अनुदान हेतु सूचित किया जायेगा।

6.2- संबंधित जनपदीय अधिकारी द्वारा परियोजना के सापेक्ष क्रय किये गये एयरेटर एवं अन्य सामग्री का स्थलीय निरीक्षण करते हुए लाभार्थी एवं सामग्री के साथ जियो टैग फोटो लेते हुए अनुदान भुगतान की कार्यवाही हेतु कार्य पूर्ण प्रमाणपत्र के साथ विभागीय पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

6.3- लाभार्थी को अनुदान की धनराशि डी0बी0टी0 द्वारा एक-किश्त में लाभार्थी के खाते में हस्तान्तरित की जायेगी।

6.4- लाभार्थी को कम से कम **05** वर्ष तक तालाब में अच्छा उत्पादन प्राप्त किये जाने हेतु लगाये रखना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में दिये गये अनुदान की धनरशि की वसूली संबंधित लाभार्थी से नियमानुसार की जायेगी।

6.5- लाभार्थी द्वारा तालाब/ हैचरी से प्रति वर्ष मत्स्य उत्पादन/ मत्स्य बीज उत्पादन का आकड़ा संबंधित जनपदीय मत्स्य अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) परियोजना का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण:-

परियोजना के सफल कार्यान्वयन हेतु त्रिस्तरीय अनुश्रवण लाभार्थी/स्थल (तालाब/हैचरी) चयन, एयरेटर आदि के क्रय एवं इस के उपयोग का समय समय पर जनपद एवं मण्डल स्तर से किया जायेगा, जिसका औचक सत्यापन/ निरीक्षण समय-समय पर मुख्यालय स्तरीय अधिकारियों द्वारा भी किया जायेगा।परियोजना के महत्वपूर्ण घटकों का साक्ष्य जियोटैग फोटोग्राफ/वीडियोग्राफी के माध्यम से जनपद स्तर पर अभिलेखार्थ सुरक्षित किया जायेगा।

(8) योजना के लाभ (रोजगार सृजन सहित प्रमुख प्रभाव):-

(अ) परियोजना से तालाब में पानी की गुणवता का रखरखाव से मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि।

(ब) मछुआरों और मत्स्यपालकों की आय में वृद्धि करने में सहायक।

(स) कृषि सकल मूल्य में मत्स्य पालन क्षेत्र के योगदान में वृद्धि करना।

(द) ग्राम सभा के पट्टे के तालाबों/निजी तालाबों/निजीक्षेत्र की हैचरियों तालाबों में एयरेटर

स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर ग्रामीण स्तर पर प्रत्यक्ष लाभप्रद रोजगार के अवसर पैदा करना और आपूर्ति हेतु मूल्य श्रृंखला के साथ अप्रत्यक्षरोजगार के अवसरों के रूप में उन की संख्या को बढ़ाना।

(य) बचे हुए खाद्य पदार्थों के अपघटन के कारण निकलने वाली जहरीली गैसों का ऑक्सीकरण

अतएव इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया ''सघन मत्स्य पालन हेतु एयरेशन सिस्टम की स्थापना योजना'' के संचालन हेतु उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

Signed by भवदीय
Ravinder
Date: 02-07-2024 17:11:28

(अचल गुप्त)
प्रमुख सचिव

22/2024/637(1)
संख्या / सत्रह-म-2024 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
3. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
7. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0, लखनऊ।
9. प्रबन्ध नेदिशक, उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0, लखनऊ।
10. निदेशक, लेखंन एवं मुद्रण सामग्री, ऐशबाग लखनऊ को आगामी गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
11. समस्त उप निदेशक मत्स्य, उ0प्र0।
12. समस्त सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0।
13. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अधिशासी निदेशक मत्स्य पालक विकास अभिकरण, उ0प्र0।
14. वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-1/ वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरीश कुमार)
अनु सचिव।